



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>वाद पत्र संख्या 23 / 2021 GCMS No. 2021/27 उनवानी चन्दा देवी आदि बनाम बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर वगै० अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारी अहकाम जो इस हुक्म क तामील में जा हुए</p>
<p>01.07.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर नहीं आये तथा न ही वादीगण हाजिर आये। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता वादीगण हाजिर नहीं आये। वादीगण स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही वादीगण की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी </p> <p style="text-align: center;">  </p>	